the last three years, with year-wise figures;

(b) the total amount of World Bank Assistance received during the same period and the names of the Projects for which the Assistance was approved; and

(c) what is the current rate of interest on World Bank loans?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR) (a) The total amount of external assistancs received on Government Account during the years 1989-90, 1990-91, 1991-92 was Rs. 5476 crores, Rs. 6173 crores and Rs. 10639 crores respectively .

(b) The total amount of World Bank Assistance i.e. IBRD and IDA, received during 1989-90, 1990-91 and 1991-92 was Rs. 3213 crores, Rs. 3141 crores and Rs. 5046 crores respectively. The names of the projects for which the World Bank assistance was received upto March, 1991 are given in the External Assistance Brochure published by the Ministry of Finance. A copy of the said brochure has been placed in the library of the House. The names of the projects undertaken with the World Bank Assistance during 1991-92 are given below:

Shrimp and Fish Culture Project, Marharashtra Forestry Project, West Bengal Forestry Project, Agriculture Development Project—Tamil Nadu, Dam Safety Project, Maharashtra Rural Environmental Sanitation Project, Child Survival and Safe Mother, Second Technician Education, Power utilities efficiency improvement project, Private Power utilities (BSDS) Project, Gas Flaring Reduction and Industrial Pollution Control Project.

(c) The current variable lending rate on IBWD loans is 7.8 per cent. IDA credits carry no interest but a service charge of 0.73 per cent.

छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण वितरित किए जाने संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण

4269. **श्री वीरेन जे. शाह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से लघु उद्योगों, छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण देने की वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा वितरित किए गए ऋणों की कुल धनराशि में से वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को वितरित किए गए ऋणों का वर्षवार और क्षेत्रवार प्रतिशत कितना-कितना है ; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान वितरित किए जाने वाले ऋणों के प्रतिशत के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए क्या निदेश दिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋणकर्ताओं को ऋण देने के संबंध में बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं । इन मार्गनिर्देशों के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बैंकों के लिए निम्नलिखित उपाय निर्धारित किए गए हैं :—

(1) बैंक स्टाफ, आवेदन पत्र भरने में ऋणकर्ताओं की सहायता करे ।

(2) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में देने चाहिए । ऐसे फार्म प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं और शाखाओं

में इन फार्मों के पर्याप्त स्टाक की आपूर्ति कराई जाए । मार्जिन और प्रतिभूति संबंधी शर्तें, आवेदन पत्र के पृष्ठ भाग पर मुद्रित की जाएं ।

(3) बैंकों के सभी शाखा प्रबंधकों को, कमजोर वर्गों के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की जाएं ।

(4) 25000/- रुपए तक की ऋण सीमा के सभी आवेदन पत्र दो सप्ताह के अंदर और 25000/- रुपए से अधिक की ऋण सीमा के आवेदन पत्र 8 से 9 सप्ताह के अंदर निपटाए जाए ।

(5) शाखा प्रबंधक आवेदन पत्र को नामजूर कर सकते हैं (अनु.जा./अनु.ज.जा. के मामलों के अतिरिक्त बशर्ते कि नामंजूरी के मामले मांडलिक/प्रादेशिक प्रबंधकों से बाद में सत्यापित करा लिए जाएं । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित प्रस्ताव के मामले में, शाखा प्रबंधक के स्तर से ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव नामंजर किया जाना चाहिए ।

(6) शाखा स्तर पर रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें प्राप्ति, मंजूरी नामंजूरी की तारीख उसके कारणों आदि सहित रिकार्ड की जानी चाहिए ।

(7) शिकायतों की जांच करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक तंत्र होना चाहिए ।

(8) 10,000/- रुपए तक के कृषि अग्रिमों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 25000 रुपए तक के अन्य अग्रिमों के लिए अन्य पार्टी गारंटी अथवा संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए जोर नहीं दिया जाना चाहिए ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को हिदायतें जारी की हैं जिसमें उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत दिये जाने वाले अग्रिमों का अनुपात उनके कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कहा गया है । बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कृषि (संबद्ध गतिविधियों समेत) के लिए दिए जाने वाले प्रत्यक्ष वित्त का स्तर कम से कम 18 प्रतिशत होना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत कमजोर वर्गों का ऋण देने के लिए एक उपलक्ष्य भी दिया गया है जिसमें (i) छोटे तथा सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार, ग्राम तथा कुटीर उद्योग (ii) विभेदी ब्याज दर योजना हिताधिकारी (iii) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के हिताधिकारी (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हिताधिकारी और (v) शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत हिताधिकारी शामिल हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि कमजोर वर्गों के नाम बकाया अग्रिम उनके कुल अग्रिमों का कम से कम 10 प्रतिशत अथवा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत दिये जाने वाले अग्रिमों का 25 प्रतिशत होना चाहिए । भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से बैंकों द्वारा संवितरित कुल बकाया ऋणों में से वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को वितरित ऋणों की वर्षवार और क्षेत्रवार प्रतिशतता से संबद्ध सूचना प्राप्त नहीं होती है । बहरहाल, सितम्बर, 1989, 1990 और 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त के गत 3 वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कुल बकाया अग्रिमों की तुलना में अग्रिमों की क्षेत्रवार बकाया राशि और उनकी प्रतिशतता विवरण में दी है ।

विवरण

सितम्बर 1989, 1990 और 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक के अग्रिमों की क्षेत्रवार बकाया राशि दर्शाता हुआ विवरण

(राशि करोड़ रुपए)

क्षेत्र	बकाया राशि	कुल बकाया अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत
	सितम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार	
(i) बडे एवं मझौले उद्योग	27224	32.17
(ii) लघु उद्योग	14011	16.56
(iii) कृषि	14849	17.55
(iv) अन्य प्राथमिक क्षेत्र	7854	9.28
(v) सभी अन्य	20675	24.44
जोड़	84613	100.00
	सितम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार	
(i) बड़े एवं मझौले उद्योग	33139	33.84
(ii) लघु उद्योग	15506	15.83
(iii) कृषि	15973	16.31
(iv) अन्य प्राथमिक क्षेत्र	8430	8.61
(v) सभी अन्य	24882	25.41
जोड़	97930	100.00
	सितम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार	
(i) बड़े एवं मझौले उद्योग	34247	33.42
(ii) लघु उद्योग	15600	15.22
(iii) कृषि	16252	15.86
(iv) अन्य प्राथमिक क्षेत्र	8601	8.39
(v) सभी अन्य	27780	27.11
जोड़	102480	100.00